संख्या-आई0टी0 -/नोटिस एवं कर निर्धारण/डीलर्स मार्किंग /2019-2020 / 1920012 / 186 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक ::अप्रैल२६,2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग के पश्चात 50 लाख तक के व्यापारियों को पूर्व प्रदत्त सात मानकों में से प्रथम 06 मानक यथावल रहेगें तथा सातवें बिन्दु पर अंकित मानक को हटा कर नया मानक " **रियायती दर/करमुक्ति से सम्बन्धित बिक्री के समस्त प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/फार्म दाखिल नहीं किये गये हों** " जोड़ दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में 50 लाख टर्नओवर तक के व्यापारियों को निम्न 07 पैरामीटर पर मार्किंग कार्य पूर्व में जारी परिपत्र सं0 1920004 दिनांक 09-04-2019 के क्रम में प्रत्येक दशा में दिनांक 31-05-2019 तक पूर्ण कराया जाये लेकिन मार्किंग कार्य पूर्ण सजगता से पत्रावली के आधार पर किया जाये :-

क- सचलदल इकाई द्वारा उनके द्वारा की गयी खरीद/बिक्री से सम्बन्धित संव्यवहार के संबंध में अभिग्रहण/जमानत की कार्यवाही की गयी हो ।
ख- बिलों के सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त कर अपवंचना के तथ्य प्रकाश में लाये हैं।
ग- वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा कोई जांच करते हुए ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में कर अपवंचना का स्पष्ट बिन्दु प्रकाश में लाये गये हो।
घ- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वविवेक के आधार पर ITC के दावों की जांच पर अथवा व्यापारी द्वारा रिटर्न में की गयी खरीद/बिक्री की घोषणाओं एवं करमुक्ति / रियायती दर से करदेयता के दावों की जांच के आधार पर स्पष्ट कर अवंचन के बिन्दु प्रकाश में लाये गये हो।
ड- व्यापारी द्वारा ITC/करदेयता का त्रुटिपूर्ण दावा/ आंकलन किया गया हो अथवा देय कर नहीं जमा किया गया हो।
च- किसी अन्य विभाग या श्रोत द्वारा व्यापारी के सम्बन्ध में कर अपवचंन के स्पष्ट बिन्दु प्रकाश में लाये गये हो।
छ- रियायती दर/करमुक्ति से सम्बन्धित बिक्री के समस्त प्रमाणपत्र /घोषणा पत्र/ फार्म दाखिल नहीं किये गये हों।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) निरन्तर उपरोक्त कार्य का अनुश्रवण करेगें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।